

मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल- 462004
// आदेश //

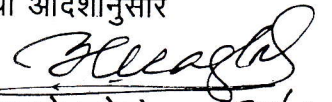
भोपाल दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक एफ-02-27/2001/सत्ताईस-एक-राज्य शासन एतद द्वारा सुश्री करुणा त्रिवेदी, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शिकायत निवारण प्राधिकरण को, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सदस्य (न्यायिक) के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदा नियुक्त प्रदान करता है:-

1. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
2. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिये सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
4. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के लिये आवंटन/आधिपत्य की पात्रता नहीं होगी। संविदा नियुक्ति के समय यदि शासकीय आवास आवंटित है या आधिपत्य में है, तो शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। विभागीय आवास के संबंध में उक्त शर्त लागू नहीं होगी।
6. अस्थायी शासकीय सेवकों के समान अवकाश पात्रता होगी।
7. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
8. संविदा अवधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।
9. संविदा नियुक्ति की अवधि में गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जायेगे।

2/- सुश्री करुणा त्रिवेदी, द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में सदस्य (न्यायिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सुश्री त्रिवेदी, सरदार सरोवर परियोजना हेतु गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण के पांच बेंचों की सहायता हेतु इस विभाग के आदेश क्र. 31-03/2015/सत्ताईस-एक, दिनांक 15-04-2015 द्वारा नियुक्त सदस्य के कार्यभार से मुक्त होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. बघेल) 30/6

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

क्रमांक एफ-02/27/2001/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक 30 जून 2015

- 1/ अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
- 2/ अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, भोपाल।
- 3/ उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
- 4/ समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
- 5/ कार्यपालक निदेशक, एन0एच0डी0सी0 भोपाल।